

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2833

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के निर्माण में क्षति

2833 डा. वी. शिवादासन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसे स्थानों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के नवनिर्मित हिस्से उद्घाटन के तीन वर्ष के भीतर ढह गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसे स्थानों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के नवनिर्मित हिस्से उद्घाटन के एक वर्ष के भीतर ढह गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसे स्थानों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के नवनिर्मित हिस्से कार्य पूरा होने से पहले ही ढह गए अथवा क्षतिग्रस्त हो गए; और

(घ) इसका क्या कारण है, इसके लिए उत्तरदायी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और कंपनियों के नाम संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और पुलों पर उद्घाटन के एक वर्ष के भीतर देखी गई प्रमुख कमियों/ ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)वार विवरण और ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/ प्राधिकरण के अभियंता/ स्वतंत्र अभियंता (ईई/आईई) आदि के विरुद्ध की गई कार्रवाई, साथ ही पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कार्रवाई शुरू करने के कारण, अनुलग्नक-I में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर उद्घाटन के एक से तीन वर्ष के बीच देखी गई प्रमुख कमियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण और ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता आदि के विरुद्ध की गई कार्रवाई, साथ ही पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कार्रवाई शुरू करने के कारण, अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर कार्य पूर्ण होने से पहले देखी गई प्रमुख कमियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण और ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/ प्राधिकरण के अभियंता/ स्वतंत्र अभियंता आदि के विरुद्ध की गई कार्रवाई, साथ ही ऐसी कार्रवाई शुरू करने के कारण, अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।

अनुबंध/रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार, कमियों/क्षतियों के मामलों में दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई, जैसे कि अनुबंध समाप्त करना, जुर्माना/क्षतिपूर्ति लगाना, प्रतिबंधित करना/ब्लैकलिस्ट करना, गैर-निष्पादक घोषित करना आदि की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों में निर्माण क्षति के संबंध में डॉ. वी. शिवदासन द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2833 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएचएस) और पुलों पर उद्घाटन के एक वर्ष के भीतर देखी गई प्रमुख कमियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाओं का विवरण और ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/प्राधिकरण के अभियंता/स्वतंत्र अभियंता (आई/आईई) आदि के विरुद्ध की गई कार्रवाई, साथ ही पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कार्रवाई शुरू करने के कारण:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) और पुलों पर उद्घाटन के एक वर्ष के भीतर देखी गई बड़ी खामियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाएं।				
	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	ठेकेदारों/सहयोगी/सहयोगी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का कारण	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
तमिलनाडु	2025	1	आरई दीवार की विफलता	ठेकेदार पर 18.05 लाख रुपये और आई ई पर 5.00 रुपये का जुर्माना लगाया गया।	
उत्तर प्रदेश	2026	2	फुटपार्थों का धंसना, फुटपाथ में फिसलन और धंसाव		ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर और आई के टीम लीडर की (1 प्रोजेक्ट के लिए) बर्खास्तगी; आईई के टीएल और आरई तथा परियोजना प्रबंधक (रखरखाव) को एक परियोजना के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
महाराष्ट्र	2026	1	आरई दीवार का आंशिक रूप से ढह जाना		रियायतग्राही को 1 महीने के लिए गैर-निष्पादक घोषित किया गया है। साथ ही, रियायतग्राही और आईई दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल	2024	2	पॉट-पीटीएफई बेयरिंग की विफलता, पुल के डेक स्लैब में दरारें	ठेकेदारों पर 8.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।	ठेकेदार द्वारा स्वयं के खर्च पर सुधार कार्य पूरा किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों में निर्माण क्षति के संबंध में डॉ. वी. शिवदासन द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2833 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर उद्घाटन के एक से तीन वर्ष के बीच देखी गई प्रमुख कमियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाओं का विवरण और ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/प्राधिकरण के अभियंता/ स्वतंत्र अभियंता आदि के विरुद्ध की गई कार्रवाई, साथ ही पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कार्रवाई शुरू करने के कारण:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर उद्घाटन के एक से तीन वर्ष के बीच देखी गई बड़ी खामियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाएं।				
	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	ठेकेदारों/सहयोगी/सहयोगी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का कारण	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
उत्तर प्रदेश	2025	1	आरई दीवार की विफलता	मुख्य ठेकेदार पर 1.00 करोड़ रुपये, रखरखाव ठेकेदार पर 1.00 करोड़ रुपये और आईई पर 20.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।	

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों में निर्माण क्षति के संबंध में डॉ. वी. शिवदासन द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2833 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर कार्य पूर्ण होने से पहले देखी गई प्रमुख कमियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण और ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/प्राधिकरण के अभियंता/ स्वतंत्र अभियंता आदि के विरुद्ध की गई कार्रवाई, साथ ही ऐसी कार्रवाई शुरू करने के कारण:

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर बड़ी खामियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाएं, जो कार्य पूरा होने से पहले देखी गई थीं।				
	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	ठेकेदारों/एई/आईई के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का कारण	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्रवाई
आंध्र प्रदेश	2021	1	गडरों का ढहना	आईई पर 40.00 लाख रुपये ठेकेदार पर 3.0 करोड़ रुपये खर्च किए गए।	
अरुणाचल प्रदेश	2024	1	आरई दीवार का ढहना	ठेकेदार पर अनुबंध मूल्य का 5%	
बिहार	2022	2	गडरों का गिरना		ठेकेदार और एई/आईई के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
	2023	2	पुल के संरचनात्मक तत्वों में खामी, डेकरूपये स्लैब से कंक्रीट का गिरना	ठेकेदार पर 25 करोड़ रुपये	ठेकेदार और एई/आईई के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
	2024	1	गडर का ढहना		ठेकेदार के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया
हिमाचल प्रदेश	2022	1	सड़क के एक हिस्से का ढह जाना		ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।
गुजरात	2026	1	गड्डे, दरारें और सतह की विकृतियाँ	ठेकेदार पर 2.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।	ठेकेदार को 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
हरयाणा	2021	1	संरचनाओं में कंक्रीट का टूटना	ठेकेदार पर 6.67 करोड़ रुपये और सहायक कर्मचारी पर 20 लाख रुपये।	ठेकेदार और सहायक कर्मचारी को 3 महीने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर बड़ी खामियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाएं, जो कार्य पूरा होने से पहले देखी गई थीं।				
	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	ठेकेदारों/एई/आईई के विरुद्ध कार्यवाई शुरू करने का कारण	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्यवाई
जम्मू और कश्मीर	2022	1	सुरंग के प्रवेश द्वार का ढह जाना	ईपीसी ठेकेदार पर परियोजना लागत का 1%	ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है
केरल	2024	1	मिट्टी की कीलों का ढहना		ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।
	2025	7	आरई दीवार में खामियां, पीएससी गर्डरों का ढहना, पाइल फाउंडेशन में क्षति आदि।	ठेकेदारों पर कुल 31.245 करोड़ रुपये और आईई पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।	ठेकेदार और एई/ आईई के प्रमुख कर्मियों को एक परियोजना में निलंबित किया गया। ठेकेदार और एई/ आईई को 2 परियोजनाओं में प्रतिबंधित किया गया
मध्य प्रदेश	2025	2	फुटपाथ का टूटना, ढलान संरक्षण कार्यों का ढहना	ठेकेदार पर 119 करोड़ रुपये	
महाराष्ट्र	2021	1	प्रक्षेपण (लांचिंग) के दौरान गर्डर का खिसकना		ठेकेदार पर 9 महीने का प्रतिबंध
	2026	2	बॉक्स क्लवर्ट के ऊपरी स्लैब का ढह जाना	ठेकेदार पर 75 लाख रुपये और आईई पर 12.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।	
तमिलनाडु	2021	1	गर्डरों का ढहना	ठेकेदार पर 3.0 करोड़ रुपये	
	2022	1	गर्डरों का गिरना	रियायतग्राही पर 7.305 करोड़ रुपये	
	2023	1	आरई दीवार में विफलताएँ		ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।
उत्तर प्रदेश	2026	3	कूप नींव में झुकाव और विस्थापन, खंभे के प्रबलीकरण केज का ढहना, आरसीसी डेक स्लैब में दरारें और मधुकोशनुमा (हनीकॉम्बिंग)		एक परियोजना में ठेकेदार का अनुबंध समाप्त करना; ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों पर बड़ी खामियों/ढहने या संरचनात्मक विफलताओं से संबंधित परियोजनाएं, जो कार्य पूरा होने से पहले देखी गई थीं।				
	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	ठेकेदारों/एई/आईई के विरुद्ध कार्यवाई शुरू करने का कारण	लगाया गया जुर्माना	अन्य दंडात्मक कार्यवाई
			संरचनाएं।		
उत्तराखंड	2023	1	सुरंग में गुहा (कैविटी) पर ढह जाना		ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।
पश्चिम बंगाल	2024	1	पुल के मध्य भाग में विकृति	ठेकेदारों पर 3.91 करोड़ रुपये और एई/आईई पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।	
ओडिशा	2022	1	गर्डरों का ढहना		एई/आईई और ठेकेदार के प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
	2023	1	पियर से स्पैन का विस्थापन	ठेकेदार पर 5.30 करोड़ रुपये और आईई पर 25 लाख रुपये।	डीपीआर सलाहकार पर 1 वर्ष का प्रतिबंध
असम	2024	1	पीएससी गर्डरों का ढहना		ठेकेदार को 4 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
दिल्ली	2023	1	फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया		ठेकेदार द्वारा किए गए सुधार कार्य का खर्च स्वयं वहन किया गया।
